अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या 20–53 / 2012

रम्भा देवी – अपीलार्थी

वनाम

राज्य एवं अन्य – रेस्पोण्डेन्ट

–: आदेश :–

प्रस्तुत अपीलवाद अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 1478–1 आई.सी.डी.एस. दिनांक 11.09.2012 अन्दर वाद संख्या 111 / 2011–12 में पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद दायर किया गया है ।

प्रस्तुत वाद नगरपरिषद वार्ड नं0– 08 अन्तर्गत केन्द्र–हाथी टोला, केन्द्र संख्या–14 कहरा सदर से संबंधित है ।

वाद पुकारा गया । उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों का अवलोकन किया ।

संक्षिप्त में मामला यह है कि जॉच पदाधिकारी रजनी गुप्ता, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा, सदर द्वारा दिनांक 07.02.12 को 1.40 बजे अपराहन में नगरपरिषद वार्ड नं0– 08 अन्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्र हाथी टोला, केन्द्र सं0– 14 का निरीक्षण के कम में केन्द संचालन में निम्नलिखित अनियमितता / त्रुटियॉ पायी गयी :–

1. ऑगनबाड़ी सेविका उपस्थित एवं सहायिका अनुपस्थित थी । सेविका द्वारा बताया गया कि सहायिका कभी आती है कभी नहीं ।

2. केन्द्र पर 33 बच्चे उपस्थित थे ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता कथन करते हैं कि बाल विकास

परियोजना पदाधिकारी कहरा, सदर द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आलोक में ऑगनबाड़ी सहायिका को केन्द्र संचालन में अनियमितता/त्रुटि के लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा उनके ज्ञापांक 268–1 दिनांक 21.02.2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने तथा सुनवाई की तिथि 02.03.2012 को उपस्थित होने का नोटिश दिया गया ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि दिनांक 02.03.2012 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा सुनवाई की गई । सुनवाई के कम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा सदर एवं ऑगनबाड़ी सहायिका उपस्थित हुई । ऑगनबाड़ी सहायिका द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, परन्तु अपीलार्थी का स्पष्टीकरण अस्वीकृत कर उन्हें चयनमुक्त किया गया ।

आरोपी रम्भा देवी, सहायिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि वे निष्ठापूर्वक अपने कर्त्तव्यों का निष्पादन प्रतिदिन ससमय करती रही है । चयन होने के पश्चात् से चयनमुक्ति के पूर्व तक उनके कार्यों /कर्त्तव्य पर किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है वो निरीक्षण की तिथि 07.02.12 को केन्द्र गयी थी परन्तु सर्दी खॉसी एवं बुखार होने के कारण सेविका से मौखिक अनुमति लेकर सदर अस्पताल, सहरसा इलाज कराने गई वो इलाज के पश्चात् दवा लेकर केन्द्र वापस आयी ।

आगे अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता कथन करते हैं कि सेविका द्वारा जॉच पदाधिकारी को बताया गया कि सहायिका कभी कभी केन्द्र पर आती है यह व्यक्तिगत दूर्भावना से कथन किया गया है ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता कथन करते हैं कि ऑगनबाड़ी केन्द्र का प्रभारी सेविका होती है तथा उन्हीं से अनुमति प्राप्त कर अपीलार्थी चिकित्सा कराने सदर अस्पताल, सहरसा गयी थी। सहायिका कभी–कभी केन्द्र पर आती तो उनकी उपस्थिति पंजी पर उपस्थिति दर्ज नही रहती परन्तु ऐसा नहीं है । अनुपस्थिति का सत्यापन उपस्थिति पंजी से नहीं किया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई शिकायत सेविका या लाभुक द्वारा किसी वरीय पदाधिकारी को इसके पूर्व में नहीं की गयी है और न ही निरीक्षण पंजी में सहायिका के विरूद्ध इसके पूर्व कोई प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज है ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता कथन करते हैं कि संबंधित पोषक क्षेत्र के अभिभावक एवं बच्चों से सहायिका के अनियमित उपस्थिति का

बयान उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट होता है कि जॉच पदाधिकारी का जॉच प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण है एवं सहायिका के विरूद्ध इस जॉच प्रतिवेदन पर कार्रवाई करना नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है । सहायिका निर्दोष है वो उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही की गयी है । अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता सहायिका को आरोप मुक्त करते हुए पुनः अपने कार्य पर बहाल करने का कथन करते है ।

रेस्पोण्डेन्ट के विद्वान सरकारी अधिवक्ता कथन करते हैं कि अपीलार्थी निरीक्षण के समय अनुपस्थित थी । केन्द्र प्रभारी सेविका द्वारा ही सहायिका की अनुपस्थिति की पुष्टि की गई है । अपीलार्थी अनुपस्थित पाये जाने पर बीमारी का बहाना बनायी है। निम्न न्यायालय में वाद के सुनवाई के दौरान बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कहरा, सदर द्वारा निम्न न्यायालय को बताया गया कि ऑगनबाड़ी सहायिका का आकस्मिक अवकाश संबंधी आवेदन कार्यालय को अप्राप्त है । यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवं न्यायोचित है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख में रक्षित कागजातों का सुक्ष्म अध्ययन किया ।

अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकनोपरांत एवं उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अपीलार्थी द्वारा केन्द्र छोड़ने से पूर्व अपने उच्चाधिकारी को अवकाश का आवेदन देकर केन्द्र छोड़ना या मुख्यालय से बाहर जाना चाहिए था। अपीलार्थी की अनियमित उपस्थिति एवं निरीक्षण की तिथि को अनाधिकृत अनुपस्थिति का आरोप सही है । अस्तु निम्न न्यायालय आदेश न्यायोचित है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसी के साथ अपीलवाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है

लेखापित एवं संशोधित ,

20/1/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।

20/1/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।